Sahyog care for you

Child Protection Policy (बाल सुरक्षा नीति)

बाल सुरक्षा नीति के उद्देश्य :–

सहयोग केयर फॉर यू की बाल सुरक्षा नीति बच्चों की सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी को प्रदर्शित करती है जिसमें सहयोग में कार्यरत् कर्मचारियों के साथ–साथ जो भी सहयोग के साथ जुड़ाव करता है उन सभी को बच्चों की सुरक्षा व उनके साथ दुर्व्यवहार विशेषतौर पर यौन दुर्व्यवहार को रोकना है।

अ. बच्चों की सुरक्षा के प्रति सहयोग का सपना:–

हमारा उद्देश्य बच्चों के लिए बाहरी व अन्दरुनी तौर पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है जहॉ प्रत्येक बच्चे को उचित वातावरण, आदर, सम्मान, प्यार व सुरक्षा का वातावरण मिले तथा जहॉ हमारा कुशल व समर्पित स्टाफ बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग हो।

ब. बाल सुरक्षा नीति की परिभाषा:–

1. बच्चे का मतलब 18 वर्ष की आयु तक बालक / बालिका
2. किसी भी रुप मे बच्चे का शोषण–शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, यौन शोषण या अन्य प्रकार से कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे बच्चों को नुकसान पहॅुचता हो या उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहॅुचता हो या उनके बचपन को प्रभावित करता हो।
3. बाल सुरक्षा की नीति के तहत जैसा भी बाल सुरक्षा की नीति में निहित हो तथा सहयोग उनके सुरक्षा के लिए कर सकता है।

स. बाल सुरक्षा नीति का दायरा

बाल सुरक्षा नीति सहयोग केयर फॉर यू मे कार्यरत या इससे जुड़े सभी लोगों पर बिना किसी छूट के लागू होगी:–

1. सभी स्तर पर सहयोग का स्टाफ :– केन्द्र समन्वयक, सामुदायिक संगठनकर्ता, सहायक कोऑर्डिनेटर / कोऑर्डिनेटर, सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर / मैनेजर, लेखाकार व अन्य पदाधिकारी जो कि केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत है या अन्य स्टॉफ जो अन्य जगहों पर कार्यरत है इस नीति के अन्तर्गत रहेगे।
2. सहयोग के सहयोगी:– इसमें बोर्ड के सदस्य, (राज्य व राष्ट्रीय) स्वयंसेवक, सामुदायिक संगठनकर्ता, मददगार, कन्सलटेंट, कॉन्ट्रैक्टर तथा राज्यों में कार्यरत स्टाफ या क्षेत्रीय सरकारी पदाधिकारी जो किसी भी प्रकार से बच्चों के सम्पर्क में आते है।
3. सहयोग में आने वाले लोग :– (जैसे कि दानदाता, पत्रकार, मीडियाकर्मी, रिसर्चर आदि) जो सहयोग के सम्पर्क में आते है वे सभी इस नीति के दायरे में रहेंगे।

द. सहयोग की बाल सुरक्षा नीति के तहत इसके स्टाफ, सहयोगी व इसमें जुड़ने वाले लोगों की ज़िम्मेदारियॉ :–

1. कभी भी ऐसी कोई गतिविधि या कार्य न करे जिससे बच्चों का नुकसान हो।
2. सभी साथियों / कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे बच्चे के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की जानकारी तुरन्त कार्यालय को दें ऐसा न करने पर स्टाफ के खिलाफ अनुशासात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
3. क्षेत्रीय कार्यालय के नियमानुसार बच्चे की शिकायत पर उचित कार्यवाही करें।
4. सभी शिकायतों पर पूर्णरुपेण सहयोग करें।
5. ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहॉ बच्चा निर्भय होकर अपने विचार रखे व अपने अधिकारों का उपयोग करे।
6. यदि आपको बच्चे की फोटो या वीडियो लेनी हो हमेशा बच्चे या उसके माता पिता से ऐसा करने के लिए आज्ञा ले यदि बच्चा मना करता है तो उसके निर्णय का आदर किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जिस बच्चे की फोटो ली गई है वह सम्माननीय हो उदाहरण स्वरुप बच्चे की ऐसी फोटो ली जाए जिसमें उसके निजी अंग पूरी तरह से छिपे हुए हों। ऐसी तस्वीरें जिनमें बच्चे की शीलता भंग हो किसी भी रुप में स्वीकार्य नही होगी। कहानियॉ व तस्वीरें सदैव बच्चे के हक में होनी चाहिए।
7. सहयोग का स्टाफ किसी भी रुप में स्पॉन्सर्ड बच्चे या उसके परिवार के बारे में गैर जरुरी लोगों को नही बतायेगा।
8. सहयोग के सहयोगी व आगन्तुक किसी भी रुप में स्पॉन्सर्ड बच्चे या उसके परिवार के बारे में गैर जरुरी लोगों को बिना सहयोग की अनुमति के नही बतायेगा।